दिनांक 01.02.2025 को अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना एवं इसके तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. डॉ बी० राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
2. श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त– सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
3. श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग
4. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा
5. श्री समीर कुमार, नोडल पदाधिकारी, **MMGSUY**

ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत कार्यान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना एवं इसके तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :–

ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम

1. इस योजना अंतर्गत पथों की स्वीकृति जिलावार दिया जाना है, अतएव सारण जिला के अंतर्गत कार्य प्रमंडल मढ़ौरा एवं छपरा–2, सुपौल जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज एव वीरपुर तथा मधेपुरा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज में शत प्रतिशत डी0पी0आर0 प्राप्त नहीं होने के कारण सारण, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के पथों का प्रशासनिक स्वीकृति की अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतएव उपरोक्त उल्लेखित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि डी0पी0आर0 परामर्शी से संर्पक स्थापित कर 03.02.2025 तक संपूर्ण जिलो का डी0पी0आर0 प्राप्त कर लेगें। 05.02.2025 तक संबंधित मुख्य अभियंता जिलावार तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए मुख्यालय में डीपी0आर0 समर्पित करें ताकि प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा सके। जिन DPR परामर्शी द्वारा ससमय डी0पी0आर0 उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन DPR परामर्शियों से भविष्य में डी0पी0आर0 नहीं बनवाने हेतु निदेशित किया गया।(अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं सभी नोडल पदाधिकारी)

2. दरभंगा एवं मधुबनी जिला का डी0पी0आर0 तैयार करा लिया गया है परंतु संबंधित मुख्य अभियंता से तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर समर्पित नहीं किया गया है। अतएव मुख्य अभियंता–6 (दरभंगा) को दिनांक – 03.02.2025 को तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए दोनो जिलों का डी0पी0आर0 समर्पित करने का निदेश दिया जाता है। (अनुपालनः– मु0अ0–6 दरभंगा)

3. सभी कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को निदेश दिया जाता है कि जिन पथों का डी0पी0आर0 प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजी गयी है उन सभी पथों का नाम Kurti Dev010 Font -18 एवं प्रशासनिक स्वीकृति भेजी गयी राशि का व्यौरा –Times New Roman Font -14 कर संबंधित अधीक्षण अभियंता को Soft Copy and Signed Copy भेजेगें। अधीक्षण अभियंता अपने अंचलाधीन सभी प्रमंडल के पथों का Details समेकित कर संबंधित मुख्य अभियंता को समर्पित करेंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा अंचल से प्राप्त पथों के Detail को समेकित करते हुए मुख्यालय को समर्पित करेंगे। मुख्य अभियंता का यह दायित्व होगा कि यह कार्य अधिकतम 7 दिनों में कर मुख्यालय को समर्पित करें। (अनुपालन :– सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता)

4. सभी कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल को निदेश दिया जाता है कि वैसे प्रखंड जिनका डी0पी0आर0 प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है जिसके प्रखंड में सभी पथों में मूल कार्य एवं Operation and Management कार्य का कुल समेकित राशि 50.00 करोड़ से अधिक है वैसे प्रखंडों का प्रशाखावार पथों की सूची तैयार कर कर 3 दिनों के भीतर भेजना सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल)

5. पथों की प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत तकनीकी स्वीकृति के पूर्व 100% पथों की जाँच संबंधित कार्यपालक अभियंता, 30% पथों की जाँच संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल तथा 10% पथों की जाँच संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा कर प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य है। (अनुपालन :– सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता)

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना

1. विभिन्न प्रमंडलों के अधीन परिशिष्ट –1 में संलग्न कुल 28 पैकेज(58 पथों) का MIS के अनुसार एकरारनामा लंबित है अतः उन्हें निदेशित किया जाता है कि 10.02.2025 तक एकरारनामा कर MIS पर upload करना सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन :– संबंधित कार्यपालक अभियंता)

e/

2. कार्यपालक अभियंता बलिया के द्वारा बताया गया कि पैकेज संख्या MMGSUY/23-24/Balia/01के संवेदक श्री राजेश कुमार का निबंधन अद्यतन नहीं रहने के कारण एकरारनामा नहीं किया जा रहा है। अतः नोडल पदाधिकारी निबंधन ग्रामीण कार्य विभाग को निदेश दिया जाता है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता से संपर्क स्थापित करते हुए अविलंब इनका निबंधन करना सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन :– नोडल पदाधिकारी निबंधन एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता)
3. विभिन्न प्रमंडलों के अधीन परिशिष्ट –2 में संलग्न कुल 07 पैकेज (15 पथों) जिसका तकनीकी बिड एवं तुलनात्मक विवरणी सक्षम प्राधिकार के पास निष्पादन हेतु समर्पित नहीं किया गया है। अतः संबंधित कार्यपालक अभियंता को 05.02.2025 तक उक्त पैकेजों का तकनीकी बिड एवं तुलनात्मक विवरणी समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन :– संबंधित कार्यपालक अभियंता)
4. विभिन्न प्रमंडलों के अधीन परिशिष्ट –3 में संलग्न एकरारित कुल 118 पथों का MIS के अनुसार कार्य प्रमंडल द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अतः 06.02.2025 तक उक्त सभी पथों में कार्य प्रारंभ कर MIS पर upload कराना सुनिश्चित करेंगे। संबधित अधीक्षण अभियंता इनका अनुश्रवण कर दिनांक 07.02. 2025 तक अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें कि सभी पथों में कार्य प्रांरभ हो गया है एवं इसकी प्रविष्टी MIS में कर दी गयी है। (अनुपालन :–संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित अधीक्षण अभियंता)
5. विभिन्न प्रमंडलों के अधीन परिशिष्ट –4 में संलग्न 8 पथों का कार्य एकरारनामा के अनुसार कार्य समप्ति की तिथि तक पूर्ण नहीं हुआ है। उन सभी पथों का कार्य 20. 02.2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चत करेंगे। विलम्ब करने वाले संवेदकों के विरूद्ध MBD की सुसंगत कंडिका के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन :– संबंधित कार्यपालक अभियंता)
6. कार्य प्रमंडल बक्सर एवं समस्तीपुर के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि पथ में अनेको Electric Pole होने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर बिजली विभाग से Electric Pole हटाने का प्राक्कलन प्राप्त करते हुए 12.02.2025 तक पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर संबंधित मुख्य अभियंता के तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए स्वीकृति हेतु मुख्यालय समर्पित करना सुनिश्चित करेगें। संबंधित अधीक्षण अभियंता इसका अनुश्रवण करेगें। (अनुपालन :– संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बक्सर एवं समस्तीपुर तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता)
6. विभिन्न प्रमंडलों के अधीन परिशिष्ट –5 में संलग्न कुल 874.79 करोड़ रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके विरूद्ध मात्र 556.80 करोड़ रूपये ही (MIS एवं Google Spread Sheet) खर्च दिखाया गया है जो अत्यंत खेदजनक है। अतः

निदेश दिया जाता है कि उपलब्ध कराया गया आवंटन को 15 Feb तक व्यय कर MIS पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे। विदित हो कि विभाग को Special Assistance के रूप 1500.00 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ है जिसे इस वित्तीय वर्ष में व्यय कर Utilization उपलब्ध कराना है। अतः निदेश दिया जाता है कि कार्य की प्रगति त्वरित कर भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाये। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता इसका शतत् अनुश्रवण करेंगें। (अनुपालन :–सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल / सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Rajender 6.2.2025

(डॉ बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– 536 अ०मु० पटना / दिनांक 07/2/25

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव / अभियता प्रमुख / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी / सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Rajender 6.2.2025

(डॉ बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव